(c) the number of cases pending in the Jabalpur Bench of CAT on the said date;

(d) whether Government propose to establish a bench of CAT at Bhopal; if not, the reasons therefor; and

(e) what action Government propose to take to ensure speedy disposal of cases by CAT?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI. S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) There were 6676 cases pending at the Principal Bench as on 30th June, 1996 out of which 2327 cases were more than three years old.

(b) The disposal of cases by the Tribunal, which is done in their judicial capacity, is dependent on number of factors which include filing of replies, completion of pleadings by the parties giving reasonable opportunity and extension of time in deserving cases etc.

(c) 1954 cases were pending at the Jabalpur Bench of CAT as on 30th June, 1996.

(d) No. Sir. The Benches of CAT are operating at the Principal Seats of the High Courts. Since the Principal Seat of Madhya Pradesh High Court is at Jabalpur, one Bench of CAT is located there.

(e) Efforts are made to fill up vacancies of the Vice-Chairmen and Members of the Tribunal as expeditiously as possible to that the functioning of the Courts in the Tribunal is not disrupted. All the Ministeries/Departments have also been advised to ensure prompt handling of cases before the Tribunal so as to help in their speedy disposal.

राज्यों को पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति

531. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य-वार पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति की जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं की मांग तथा आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या था;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि हेतु कई अनुरोध प्राप्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) से (घ) समूचे देश में पेट्रोल, और डीजल की आपूर्ति जरूरत के अनुसार पूरी तरह की जाती है। मिट्टी का तेल एक आवंटित उत्पाद है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को पूर्ववर्ती आधार पर मिट्टी के तेल का थोक आवंटन करती है तथा राज्य इसके खुदरा वितरण की व्यवस्था करते हैं।

राज्य सरकारों से एस०के०ओ० के अतिरिक्त आवंटन के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा में अड़चन तथा इसमें शामिल भारी राज सहायता को देखते हुए राज्यों की पूर्ण मांग पूरा करना संभव नहीं है। इसके बावजूद वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान मिट्टी के तेल के आवंटन में समूचे देश में गत वर्ष हुए आवंटन पर 3% की वृद्धि दी गई थी, जिसके तहत उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक अतिरिक्त मात्रा का आंवटन किया गया जहां प्रति व्यक्ति खपत कम थी। इसके विपर्ययने थी।

गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार आपूर्ति की गई पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की मात्रा नीचे विवरण में दिखाई गई है।

विवरण

1993-94 के दौरान एम एस॰/एच एस डी/एस के ओ की राज्यवार बिक्री

(हजार मि॰ टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम॰एस॰	एस॰के॰ओ॰	एच॰एस॰डी॰
आन्ध्र प्रदेश	241.59	590.76	2191.01
असम	50.76	254.61	346.23
बिहार	136.19	511.11	1329.35
गोवा	28.85	27.28	141.39
गुजरात	310.43	789.82	1771.64
जम्मू और कश्मीर	46.40	103.98	133.55
केरल	155.72	270.18	959.69
मध्य प्रदेश	173.75	405.22	1487.00
तमिलनाडु	261.98	666.19	2233.12
महाराष्ट्र	561.81	1523.13	2969.98
कर्नाटक	252.34	452.49	1388.03
उड़ीसा	58.92	174.86	534.11
पंजाब	247.37	326.56	1441.67
राजस्थान	146.25	286.38	1640.35
उत्तर प्रदेश	360.09	976.20	3362.54
पश्चिम बंगाल	144.18	761.53	1404.01
हरियाणा	122.56	156.98	1076.75
हिमाचल प्रदेश	25.29	37.78	135.80
मणिपुर	8.92	21.51	21.11
मेघालय	15.70	16.53	72.90
नागालैंड	10.03	11.00	22.72
सिक्किम	2.66	5.81	6.21
त्रिपुरा	5.38	21.24	29.15
अंडमान और निकोबार	2.17	4.27	42.66
अरुणाचल प्रदेश	11.61	12.91	51.45
चंडीगढ़	37.15	21.93	44.64
दिल्ली	375.21	238.11	839.54
दादर और नगर हवेली	2.33	3.11	16.64
दमन और दीव	2.01	4.35	5.31
लक्षद्वीप	—	.32	2.84
मिजोरम	5.62	6.68	15.28
पांडिचेरी	9.12	14.73	98.14

1994-95 के दौरान एम एस/एच एस डी/एस के ओ की राज्यवार बिक्री

(हजार मि॰ ट॰)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम॰एस॰	एच॰एस॰डी॰	एस॰के॰ओ॰
चंडीगढ़	37.2	43.8	17.9
दिल्ली	407.7	924.8	241.2
हरियाणा	132.2	1220.1	157.6

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम०एस०	एच०एस०डी०	एस०के०ओ०
हिमाचल प्रदेश	25.7	148.1	38.8
जम्मू और कश्मीर	45.9	201.7	106.1
पंजाब	285.1	1599.1	335.0
राजस्थान	160.4	1778.8	306.6
उत्तर प्रदेश	362.0	3642.6	1025.4
असम	51.7	349.4	256.5
अरुणाचल प्रदेश	14.9	54.8	12.7
मणिपुर	8.9	21.5	22.3
मेघालय	15.7	78.5	16.4
मिजोरम	5.2	17.1	6.4
नागालैंड	10.5	24.9	11.2
त्रिपुरा	5.4	31.8	22.3
सिक्किम	4.9	14.9	11.9
बिहार	144.7	1457.3	558.7
उड़ीसा	63.2	578.9	197.1
पश्चिम बंगाल	149.4	1521.1	753.2
अंडमान	2.4	39.9	4.8
महाराष्ट्र	625.6	3193.6	1514.2
गुजरात	329.6	1927.3	807.8
मध्य प्रदेश	191.5	1662.8	447.3
गोवा	28.1	164.8	29.2
दमन	2.0	7.4	1.5
दादर और नगर हवेली	2.7	22.9	3.1
दीव	0.4	1.7	1.4
तमिलनाडु	291.9	2447.1	666.6
केरल	174.3	1056.8	272.4
पांडिचेरी	9.7	82.2	14.6
कर्नाटक	214.4	1516.1	461.5
आन्ध्र प्रदेश	268.4	2414.9	599.3

ये आंकड़े अनंतिम हैं।

1995-96 के दौरान एम एस/एच एस डी/एस के ओ की राज्यवार बिक्री

(हजार मि० ट०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम०एस०	एस०के०ओ०	एच०एस०डी०
जम्मू और कश्मीर	45.99	124.09	195.04
पंजाब	313.26	352.58	1766.41
राजस्थान	195.71	329.51	2142.60

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम०एस०	एस०के०ओ०	एच०एस०डी०
उत्तर प्रदेश	394.60	1092.91	3700.20
हरियाणा	148.98	164.60	1350.86
हिमाचल प्रदेश	26.09	37.08	169.99
चंडीगढ़	42.42	19.57	52.56
दिल्ली	436.37	240.23	1152.76
असम	54.81	265.92	353.20
मणिपुर	9.16	22.19	23.85
मेघालय	17.89	16.97	88.48
नागालैंड	10.57	12.60	28.75
त्रिपुरा	5.89	23.32	32.74
अरुणाचल प्रदेश	16.20	11.94	59.42
मिजोरम	6.08	7.04	17.77
बिहार	156.04	607.97	1564.25
उड़ीसा	72.22	222.19	627.47
पश्चिम बंगाल	158.58	816.04	1644.49
सिक्किम	4.56	10.17	8.51
अंडमान और निकोबार	2.35	5.08	44.22
गोवा	32.06	28.27	171.33
गुजरात	393.13	811.80	2401.16
मध्य प्रदेश	215.85	481.34	1922.03
महाराष्ट्र	719.73	1545.25	3814.67
दादर और नगर हवेली	3.50	3.11	38.65
दमन और दीव	2.97	3.16	9.04
आन्ध्र प्रदेश	314.38	613.80	2863.64
केरल	205.68	291.42	1176.21
तमिलनाडु	336.64	683.52	2866.63
कर्नाटक	316.17	493.56	1774.02
लक्षद्वीप	—	.20	.17
पांडिचेरी	12.09	14.84	106.19

गुजरात में आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्रगति के संबंध में मूल्यांकन

532. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के किन-किन जिलों में आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्रगति के संबंध में अब तक मूल्यांकन किया गया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य के किन-किन जिलों में प्रगति के संबंध में अब तक मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व आरम्भ किये गये किसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया गया जा सका या उसे अभी भी पूरा करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना का जिलेवार मूल्यांकन अब तक नहीं किया गया है।